न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–279 / 2026
घोसवरी थाना कांड संख्या–29 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट

04.06.2026 काराधीन अभियुक्त–1. दिलखुश कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–18.05.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है जोकि, अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट से संबंधित घोसवरी थाना कांड संख्या–29 / 2026, दिनांक–20.03.2026 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश प्रसाद तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। आवेदक दिनांक–21.03.2026 से कराधीन हैं। पूर्व में आवेदक का जमानत आवेदन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दिनांक–07.05. 2026 को खारिज किया जा चुका है। आगे इनका कहना है कि, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है, आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई भी अपराध–कारित नहीं किया गया है। पूर्व दुश्मनी के कारण सह अभियुक्त–छोटू कुमार के द्वारा इस आवेदक का नाम लिया गया है, इनके पास से कुछ–भी बरामद नहीं हुआ है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक घोसवरी थाना में पद्स्थापित स0अ0नि0–विजय कुमार सिंह हैं, उनका कहना है कि, दिनांक–20.03.2026 को समय करीब 10.05 बजे वे गृह रक्षक–वीरू कुमार, महिला सिपाही–शिवाली सिंह, गृह रक्षक–सबोध कुमार एवं गृह रक्षक–राहुल कुमार के साथ दिवागस्ती पर थे, तभी उनको सूचना मिली कि, सात व्यक्ति एक होंडा साईन मोटरसाइकिल एवं एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल के साथ धनकडोभ स्थित पानी टंकी के पास के पास खड़े हैं और वे, अपने पास हथियार भी रखे हैं तथा उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है, इस सूचना पर सूचक जैसे ही धनकडोभ, पानी टंकी के पास पहुंचा तो पुलिस गाड़ी को दूर से आते देख, सातो व्यक्ति दोनों मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद छः अभियुक्तों को छापेमारी कर पकड़ लिया गया एवं एक व्यक्ति जिसका नाम–मनीष कुमार था, वह भागने में सफल रहा। पकड़ाए व्यक्तियों ने अपना–अपना नाम क्रमशः किशोर कुमार, सोनू कुमार, छोटू कुमार, साहिल कुमार, दिलखुश कुमार एवं आलोक राज उर्फ साजन बताया। तलाशी के क्रम में सोनू कुमार के दाहिने हाथ से एक देशी कट्टा तथा पहने हुए जींस के बाएं पॉकेट से दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ, वहीं किशोर कुमार के दाहिने हाथ से एक देशी कट्टा, जिसे अनलोड करने पर फायर किया

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–279 / 2026
घोसवरी थाना कांड संख्या–29 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट

लगातार

04.06.2026

हुआ एक खोखा बरामद हुआ। आलोक राज उर्फ साजन के जींस के बांए पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामद देशी कट्टा और गोली के संबंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि, सोनू कुमार उर्फ टेनी के साथ पूर्व में हुए विवाद को लेकर धमकाने गए थे। बरामद अवैध देशी कट्टा तथा तीन जिंदा गोली एवं एक खोखा को विधिवत् जप्ती–सूचि बनाकर जप्त किया गया। पकडाए व्यक्तियों का एक होंडा साइन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-01HQ-5636 तथा एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल जिसका नंबर अंकित नहीं था, उसे भी सूचक के द्वारा जप्त किया गया।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–2 में जप्ती–सूचि है। कंडिका–3 में वादी का पुनः, ब्यान है, कंडिका–4 में साक्षी–वीरू कुमार का ब्यान है, कंडिका–5 में साक्षी–सुबोध कुमार का ब्यान है, जिसमें सभी साक्षियों ने अपने ब्यान में घटना का समर्थन करते हुए आवेदक अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्त के साथ था, सह–अभियुक्त के पास से शस्त्र एवं गोली बरामद किया गया था। कांड दैनिकी के कंडिका–8 में सह अभियुक्त–सोनू कुमार का स्वीकारोक्ति ब्यान है, जिसमें उसने आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया है कि, ये लोग सोनू कुमार उर्फ टेनी को धमकाने के लिए धनकडोभ, पानी टंकी के पास पहुंचे थे, तभी पुलिस वहां पहंच गई और ग्रामीणों की मद्द से उनको पकड़ लिया गया। इनके पकड़ से बचने के लिए किशोर कुमार के द्वारा हवाई फायरिंग भी किया गया। आवेदक को सह–अभियुक्तों के पास शस्त्र होने की जानकारी थी और वह, उनके साथ घटनास्थल पर मौजूद था। कांड दैनिकी के साथ शस्त्र जांच–प्रतिवेदन भी संलग्न है, जिसमें 'शस्त्र को पूर्णतः कारगर' पाया गया है और 'तीन जिंदा गोली को मानव जीवन के लिए घातक' बताया गया है। आवेदक के विरूद्ध धारा–25(1-B)a, 26, 27 एवं 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. दिलखुश कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़